

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

ज्ञापांक:-6B/N-08-10/2026-.....

दिनांक- / /2026

विभागीय आदेश ज्ञापांक-635(6बी), दिनांक- 30.07.2026 द्वारा निजी प्रक्षेत्र के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता/अनुमति प्रदान करने से संबंधित सभी कार्रवाई ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इस निमित्त BNRC पोर्टल पर नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अनुमति/मान्यता हेतु प्राप्त आवेदनों के त्वरित, पारदर्शी एवं नियमानुकूल निष्पादन के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रक्रिया एवं समय-सीमा निर्धारित की जाती है:-

1. नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अनुमति(Permission) /मान्यता(Recognition) हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक आवेदन के निष्पादन के लिए विभागीय पदाधिकारियों के बीच Workflow निम्नवत निर्धारित किया गया है:-

(i) संस्थान द्वारा अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त होने के उपरांत:-

Assistant Section officer(ASO) → Section Officer(SO) → Director in chief (Nursing) → Special Secretary → Secretary → Hon'ble Health Minister → Director in chief (Nursing)(For issuing letter of Permission after Approval of Hon'ble Health Minister)

(ii) अनुमति प्राप्त होने के उपरांत संस्थान द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर भौतिक निरीक्षण हेतु अनुरोध पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। अनुरोध प्राप्त होने के उपरांत निदेशक प्रमुख (नर्सिंग) द्वारा नियमावली 1997 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सात दिनों के अन्दर विशेषज्ञ जाँच समिति का गठन किया जायेगा। जाँच समिति द्वारा उक्त संस्थान का निरीक्षण करते हुए 15 दिनों के अन्दर जाँच प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर समर्पित करना होगा।

(iii) जाँच प्रतिवेदन पोर्टल पर समर्पित करने के उपरांत मान्यता प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया निम्नवत होगी:-

Section Officer (SO) → Director in chief (Nursing) → Special Secretary → Secretary → Hon'ble Health Minister → Director in chief (Nursing)(For Issuing letter of Recognition after Approval of Hon'ble Health Minister)

2. उक्त निर्धारित Workflow में प्रत्येक स्तर के पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि अनुमति/मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन तथा विशेषज्ञ समिति द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन को अगले स्तर पर अग्रसारित करने से पूर्व सभी अभिलेखों एवं कागजातों का समुचित परीक्षण भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों तथा विभाग द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप कर लिया जाय।

3. यदि किसी भी स्तर पर आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों/जाँच प्रतिवेदनों में कोई कमियाँ/त्रुटियाँ पायी जाती हैं, तो उक्त कमियाँ/त्रुटियों के निराकरण हेतु बिन्दुवार कमी अंकित करते हुए संबंधित संस्थान को पोर्टल के माध्यम से निराकरण करने हेतु वापस किया जायेगा।

741(6B)
21/08/2026

/

निराकरण हेतु संस्थान को अधिकतम 30 (तीस) दिनों की अवधि प्रदान की जायेगी। 30 दिनों के भीतर कमियों/ त्रुटियों का निराकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजातों/ अभिलेखों के आधार पर विभाग द्वारा नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

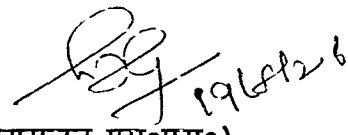
4. साथ ही संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन की प्रारंभिक समीक्षा गंभीरतापूर्वक किया जाय। किसी भी आवेदन में व्याप्त सभी कमियाँ प्रारंभिक समीक्षा में ही चिह्नित कर लिया जाय ताकि संस्थान द्वारा समेकित रूप से त्रुटियों का निराकरण एक ही बार में किया जा सके।

5. संस्थान द्वारा कमियों/ त्रुटियों का निराकरण प्राप्त होने के उपरांत संबंधित पदाधिकारी द्वारा पूर्व में अंकित प्रत्येक कमियों का बिन्दुवार परीक्षण किया जायेगा तथा विनिश्चय होने के उपरांत ही अपने से उच्चतर पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे।

6. नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अनुमति/ मान्यता हेतु प्राप्त सभी आवेदनों की समीक्षा करते हुए अपने से उच्चतर पदाधिकारी को अग्रसारित करने हेतु अधिकतम समय सीमा 07 (सात) कार्यदिवस होगी।

7. सभी संस्थानों के आवेदनों का परीक्षण समान मानकों एवं समान प्रक्रिया के आधार पर किया जायेगा। साथ ही सभी निर्णय भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों एवं विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों तथा प्रचलित नियमों के आधार पर लिये जायेंगे।

8. उपर्युक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी और अनुमति एवं मान्यता हेतु ऑनलाइन नर्सिंग पोर्टल पर लंबित आवेदन तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले ऐसे सभी आवेदनों पर लागू होगी। सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश में निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सीमा का अक्षरशः अनुपालन हो।


(त्यागराजन एसएम०),

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-6B/N-08-10/2026-7991(6B)

दिनांक- 21 / 08 / 2026

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आस सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आस सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6ए० एवं 6बी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

